राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सीपीसीबी से अवैध रेत खनन से निपटने के लिए पूरे भारत में दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है। एनजीटी ने कहा कि सिलिका रेत खदानों से सिलिका रेत निकालने से श्रमिकों को सिलिकोसिस (क्रिस्टलीय सिलिका धूल के साँस लेने से होने वाली फेफड़ों की बीमारी) जैसे स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। • एनजीटी ने यह भी पाया कि सिलिका रेत धुलाई संयंत्रों में उचित रिकॉर्ड रखने की कमी है, और वैधानिक नियामक कानूनों के अनुपालन की उपेक्षा करते हैं। • सिलिका रेत का उत्पादन खुले बनावट वाले बलुआ पत्थर या क्वार्टजाइट को कुचलकर, और आवश्यक अनाज वितरण प्राप्त करने के लिए इसे धोने और ग्रेडिंग करके किया जाता है। • रेत संसाधन के बारे में • रेत पानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक शोषित प्राकृतिक संसाधन है। (यूएनईपी) • रेत को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) के तहत एक लघु खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेत खनन के बारे में

• परिभाषा: प्राकृतिक पर्यावरण (भूमि, नदियाँ, आदि) से प्राथमिक प्राकृतिक रेत और खनिजों, धातुओं जैसे संसाधनों को हटाना, ताकि बाद में प्रसंस्करण के लिए मूल्यवान कुचल पत्थर आदि निकाला जा सके।

• अवैध रेत खनन के लिए जिम्मेदार कारक: निर्माण में रेत की उच्च मांग; संगठित रेत माफिया; स्थायी विकल्पों की कमी आदि।

अवैध रेत खनन के परिणाम

• बाढ़ और अवसादन: बाढ़ और अवसादन, उपजाऊ भूमि की हानि, बुनियादी ढांचे को नुकसान आदि के कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन।

• भूजल की कमी: भूजल स्तर को कम करता है, कुओं को प्रभावित करता है और पानी की कमी का कारण बनता है।

• जैव विविधता का नुकसान: जलीय आवासों को बाधित करता है, घड़ियाल, मीठे पानी के कछुए, ऊदबिलाव, नदी डॉल्फ़िन आदि जैसी लुप्तप्राय नदी प्रजातियों को खतरा पहुँचाता है।

अवैध रेत खनन से निपटने के लिए उठाए गए कदम

• एमएमडीआर अधिनियम की धारा 23 सी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है।

• सतत रेत प्रबंधन दिशानिर्देश (2016) और प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देश (2020) नदी पारिस्थितिकी को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

• रेत खनन रूपरेखा (2018) निर्मित रेत और कोयला खदानों के ओवरबर्डन से रेत जैसे विकल्पों को बढ़ावा देती है।

• खनन निगरानी प्रणाली अवैध रेत खनन पर नज़र रखने और उसे नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।

एसोचैम-ईग्रो द्वारा जारी की गई व्यवसाय करने में चुनौतियों का सामना कर रहे एमएसएमई की रिपोर्ट

मुख्य निष्कर्ष

• एमएसएमई वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान करते हैं।

• 2047 तक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 67% कार्यबल को रोजगार मिलने और सकल घरेलू उत्पाद में 75% से अधिक का योगदान होने का अनुमान है।

एमएसएमई क्षेत्र के बारे में

• एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं, जो 90% व्यवसायों का गठन करते हैं, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करते हैं।

• भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• पंजीकरण में देरी: बोझिल पंजीकरण प्रक्रिया और अक्षम एकल खिड़की निकासी प्रणाली के कारण।

• सरकारी योजनाओं के बारे में भ्रम: योजनाओं के बारे में जागरूकता और भ्रम की कमी, और केंद्र-राज्य समन्वय की कमी।

o उदाहरण के लिए जीएसटी के तहत जटिल पंजीकरण, बार-बार संशोधन से व्यवसाय करने की लागत बढ़ जाती है।

• प्रशासनिक बोझ: व्यावसायिक कर, अनुबंध श्रम, न्यूनतम मजदूरी आदि के लिए ओवरलैपिंग दस्तावेज़ीकरण के कारण उनके संचालन में बाधा आती है।

• श्रम मुद्दे: नए कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित परीक्षण अवधि की कमी, अकुशल श्रमिक, राज्यों में मजदूरी में भिन्नता, अक्षम प्रशिक्षण केंद्र आदि।

• वित्तीय मुद्दे: संस्थागत वित्त तक सीमित पहुँच, अपारदर्शी ऋण आवेदन प्रक्रिया और संपार्श्विक की कमी आदि उनके विकास में बाधा डालते हैं।

• निर्यात संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, भारतीय एमएसएमई द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रिपोर्ट की कमी निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है।

सिफारिशें

• समर्पित हेल्पलाइन के साथ एकल खिड़की निकासी के माध्यम से पंजीकरण को सुव्यवस्थित करें, और दस्तावेजों के लिए मानकीकृत चेकलिस्ट बनाएं।

• योजना कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने, जीएसटी पंजीकरण को सरल बनाने और संशोधनों की आवृत्ति को कम करने के लिए समर्पित एमएसएमई समन्वय परिषद।

• समान श्रम मजदूरी, सस्ती श्रम बीमा योजनाओं, उद्योग से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल प्रबंधन।

• पर्याप्त वित्तपोषण, मुद्रा की भूमिका और पहुंच को बढ़ाना, फिनटेक समाधान विकसित करना और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना।

• एमएसएमई के लिए बुनियादी ढांचे और एक अनुरूप ईएसजी ढांचे को मजबूत करना ताकि उनकी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल

भोपाल गैस त्रासदी के बारे में

• 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) के स्वामित्व वाले कीटनाशक संयंत्र से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस लीक हुई थी।

o त्रासदी के चार दशक बाद भी, UCIL के परिसर में सैकड़ों टन जहरीला कचरा मौजूद है।

• यह भारत की पहली बड़ी रासायनिक (औद्योगिक) आपदा थी।

भारत में अन्य रासायनिक आपदाएँ

• चेन्नई में अमोनिया गैस रिसाव (2024): चक्रवात मिचौंग के कारण क्षतिग्रस्त गैस पाइपलाइन के कारण।

• विजाग गैस रिसाव (2020): विशाखापत्तनम में एलजी पॉलिमर में स्टाइरीन गैस रिसाव।

• तुगलकाबाद गैस रिसाव (2017): रासायनिक क्लोरो मिथाइलपाइरीडीन (कीटनाशक निर्माण में उपयोग किया जाता है) कंटेनर से लीक हो गया।

रासायनिक आपदाओं के कारण प्राकृतिक आपदाओं का हानिकारक प्रभाव; खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण/निपटान; आतंकवादी हमला/अशांति जिसके कारण तोड़फोड़ आदि हो सकती है। रासायनिक आपदाओं का प्रभाव • स्वास्थ्य: विषैले रसायनों के संपर्क में आने से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर और आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। • पर्यावरण: मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को और अधिक बाधित करता है। • फसल स्वास्थ्य: खतरनाक रसायनों के

संपर्क में आने से पौधों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है, विकास अवरुद्ध होता है और उत्पादकता कम होती है। • जैव संचय: जारी विषाक्त पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे जैव संचय होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट (CH3NCO) के बारे में • वाष्पशील, रंगहीन तरल जो अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा में मिलने पर संभावित रूप से विस्फोटक होता है। • पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, गर्मी देता है और मिथाइलमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। • तरल पदार्थ और वाष्प सांस लेने, निगलने या आंखों या त्वचा के संपर्क में आने पर विषाक्त होते हैं।

रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए की गई पहल

• रासायनिक आपदा प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देश: नियामक निकायों द्वारा निरीक्षण प्रणाली, प्राथमिकता के आधार पर राज्यों और जिलों के साथ सूचना नेटवर्किंग प्रणाली स्थापित करना आदि।

• विस्फोटक अधिनियम, 1884: विस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, परिवहन और आयात को नियंत्रित करना।

• रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम 1996।

भारत, बोस्निया और हर्जेगोविना ने चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया

भारत और बोस्निया और हर्जेगोविना ने हाल ही में साराजेवो में अपना चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। इसका नेतृत्व भारत से अरुण कुमार साहू और बोस्निया और हर्जेगोविना से तारिक बुकविक ने किया।

प्रतिभागी और नेतृत्व

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मध्य यूरोप के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार साहू ने किया। बोस्नियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तारिक बुकविक ने किया। वह बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्रालय में एशिया और अफ्रीका विभाग की देखरेख करते हैं।

मुख्य चर्चा विषय

परामर्श में विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षवाद, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर भी ध्यान केंद्रित किया।

अतिरिक्त बैठकें

अरुण कुमार साहू ने सलाहकार मार्को मिलिसाव और माजा गैसिक से मुलाकात की। वे बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रेसीडेंसी की अध्यक्ष से जुड़े हैं। साहू ने बोस्निया और हर्जेगोविना के उच्च प्रतिनिधि क्रिश्चियन श्मिट के साथ शिष्टाचार बैठक भी की।

दोनों राष्ट्र नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर को आयोजित करने पर सहमत हुए। समय बाद में तय किया जाएगा। यह निरंतरता राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

राजनयिक संबंधों का मील का पत्थर

भारत और बोस्निया और हर्जेगोविना मील के पत्थर के करीब पहुंच रहे हैं। वे 2025 में राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। यह वर्षगांठ उनके मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।

परामर्श में सहयोग के कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। विषयों में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग शामिल थे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा थे, जो साझेदारी के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं।

परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

1. विदेश कार्यालय परामर्श (FOC): FOC राजनयिक बैठकें हैं जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। वे राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करते हैं।

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM): NAM राज्यों का एक समूह है जो औपचारिक रूप से प्रमुख शक्ति ब्लॉकों के साथ गठबंधन नहीं करता है। यह विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देता है।

अमृत 2.0 - भारतीय शहरी स्थानों को पुनर्जीवित करना

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) 2.0 1 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों की आत्मनिर्भरता और जल सुरक्षा को बढ़ाना है। मिशन सीवरेज प्रबंधन, जल निकाय बहाली और हरित स्थानों को बढ़ाने पर केंद्रित है। पांच वर्षों में ₹2,99,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

परियोजना अनुमोदन और वित्त पोषण

मिशन ने ₹1,89,458.55 करोड़ की 8,998 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) वित्त पोषण का प्रबंधन करता है। केंद्र सरकार ₹76,760 करोड़ का योगदान देती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) को स्थानीय परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धन मिलता है।

राज्य जल कार्य योजनाएँ (SWAP)

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉन्च के दो साल के भीतर अपनी राज्य जल कार्य योजनाएँ प्रस्तुत करनी होंगी। अब तक ₹66,750 करोड़ की केंद्रीय सहायता में से ₹63,976.77 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने अभी तक 90% निधियों के लिए अपनी योजनाओं को मंजूरी नहीं दी है।

परियोजना की स्थिति और अनुबंध

15 नवंबर, 2024 तक 4,916 परियोजनाओं के लिए ₹85,114.01 करोड़ के अनुबंध दिए जा चुके हैं। अन्य 1,198 परियोजनाएँ नियोजन चरण में हैं। राज्यों से इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया गया है। शेष परियोजनाएँ विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में हैं।

वित्तीय व्यय

केंद्रीय सहायता में ₹63,976.77 करोड़ में से ₹11,756.13 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। इसमें से ₹6,539.45 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। कुल व्यय, जिसमें सांख्यिकी शामिल है

• मानवीय, तकनीकी और प्रबंधन त्रुटियों के कारण प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता; ई योगदान ₹17,089 करोड़ है। ₹23,016.30 करोड़ की परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समितियाँ (SHPSCs) राज्य स्तर पर परियोजना निष्पादन की देखरेख करती हैं। इन समितियों का नेतृत्व मुख्य सचिव करते हैं। राज्य स्तरीय तकनीकी समितियाँ (SLTCs) उनका समर्थन करती हैं। एक शीर्ष समिति राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की निगरानी करती है। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियाँ (IRMA) परियोजना की स्थिति का आकलन करती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस और साइट विजिट के जरिए नियमित समीक्षा होती है।

परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

1. AMRUT - कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह 500 शहरों में स्थिरता और जल सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. SWAP - AMRUT के तहत भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य जल कार्य योजनाएँ अनिवार्य हैं। उचित जल प्रबंधन रणनीतियों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दो साल के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भारत, ISA ने प्रशांत द्वीप समूह में सौर परियोजना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत के विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 26 नवंबर, 2024 को किया गया यह समझौता फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुँच को बढ़ाना है।

समझौते का संदर्भ

यह समझौता सितंबर 2024 में डेलावेयर में आयोजित क्वाड लीडर्स समिट के बाद हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में, क्वाड देशों ने स्वच्छ ऊर्जा पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। भारत ने इन सौर परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन डॉलर का निवेश करने का संकल्प लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भूमिका

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा, जो भाग लेने वाले देशों को आवश्यक सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। परियोजनाओं के सफल निष्पादन के लिए यह समर्थन महत्वपूर्ण है।

लक्ष्य देशों के सामने ऊर्जा चुनौतियाँ

ISA द्वारा किए गए एक अध्ययन ने इन देशों में ऊर्जा के मुद्दों को प्रकाश में लाया। प्रमुख चुनौतियों में स्वास्थ्य सुविधाओं में अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और कृषि सिंचाई के लिए अविश्वसनीय बिजली शामिल हैं। इसके

अतिरिक्त, सीमित ऊर्जा पहुँच कृषि उत्पादों के भंडारण में बाधा डालती है। सौर परियोजनाओं के फोकस क्षेत्र प्रस्तावित सौर परियोजनाएँ तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इनमें कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का सौरकरण और सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के पंप शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य समुदायों की विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं को संबोधित करना है। परियोजनाओं के अपेक्षित परिणाम इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से कई लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर ऊर्जा पहुँच से दूरदराज के क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। पहल से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी, जिससे आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। सौर ऊर्जा को इन देशों के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा जाता है। भारत का निवेश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह इन देशों को एक उज्जवल भविष्य के लिए स्थायी ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करने में सहायता करेगा। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: 1. ISA - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा पहलों को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा पहुँच और स्थिरता को बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीच वित्तीय सहायता और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। 2. क्वाड - चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा पहल और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है।

3. कोमोरोस - कोमोरोस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह है। यह अपनी आबादी के लिए अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच सहित महत्वपूर्ण ऊर्जा चुनौतियों का सामना करता है।